अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत

संख्या–3270/ III(2)/17–78(प्रा0आ0)/2016 टी.सी.

प्रेषक,

एस0एस0 पांगती,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 02 जनवरी, 2017

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत 03 सेतु कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, टिहरी द्वारा संलग्न विवरणानुसार स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये 03 सेतु कार्यों के आगणनों पर **विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 109.27 लाख (₹ एक करोड़ नौ लाख सत्ताईस हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात 03 कार्यों हेतु ₹ 0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यो में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) विषयगत कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.30 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–30–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–02 अनुसूचित जाति उपयोजना–05 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–1055/XXVII/(2)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

संख्याः–   /।।।(2)/17–78(प्रा0आ0)/2016 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोनिवि0, टिहरी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/उत्तरकाशी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोनिवि0, उत्तरकाशी।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोनिवि0, पुरोला।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

संख्या–3270 / III(2) / 17–78(प्रा0आ0) / 2016 टी0सी0 दिनांक 02 जनवरी, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–पुरोला के विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पैन्सर के कामरा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	18 mtr.	38.13	0.10
2	अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–पुरोला के विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पासा में साडा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	15 mtr.	34.75	0.10
3	अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–पुरोला के विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पासा के मियागाड बरफिल खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	18 mtr.	36.39	
	कुल :–	**03brg**	**109.27**	**0.30**

(कुल ₹ तीस हजार मात्र)

(ए0एस0 पांगती)

उप सचिव